


12.04.2022

आदिबन्ता प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं के प्रार्थना-पत्र पर-  
पत्रावली आज सुनवाई में ली गई। चूंकि मूल वाद-  
जारी विद्रोह खारिज हो चुका है तथा आदिबन्ता प्रार्थी  
व प्रार्थी स्वयं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व प्रार्थना  
पत्र राजीनामा होने के कारण जारी विद्रोह खारिज  
करने का निवेदन किया है। अतः महाराजस्व प्रार्थना पत्र  
जारी विद्रोह खारिज किया जाता है पत्रावली फॉयल  
शुमार होकर वायिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं फॉयल जम्हाण्ड अधिकारी  
डेकाना (नागर)

Ramdas  
12/4  
18